करने" की एक परियोजना प्रायोजित की गई है। लघु उद्योग विकास संगठन के कार्मिकों के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण में एक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है जिनमें देश भर में छोटे पैमाने के उद्योगों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) और (घ) सरकार के पास छोटे पैमाने के उदयोगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने की एक स्कीम है। यह स्कीम स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाए जाने एवं उसके प्रसार को विकास और अनुसंधान के साथ जोड़ती है तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में जागरूकता कार्यक्रम और कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत छोटे पैमाने की यूनिटों में सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र और औद्योगिक अपशिष्ट जल पुनश्चक्रण संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने की एक स्कीम सरकार के पास है। इस स्कीम के तहत 50% अथवा 1 करोड़ रुपए की राशि जो भी कम हो, राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, 30% परियोजना लागत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के जरिए उदार ऋण के रूप में प्रदान की जाती है तथा शेष 20% राशि प्रोत्साहक के अंशदान के रूप में दी जाती है। अपशिष्ट पुनः प्रयोग, अपशिष्ट न्यूनीकरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदर्शन और प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना करने के लिए मझौले और बड़े उद्योगों को भी सहायता दी जाती है।

(ङ) सरकार ने छोटे पैमाने की औद्योगिक यूनिटों के समूहों के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के वास्ते राज्य सरकारों को लगभग 11.00 करोड़ रुपए की राशि बंटित की है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

(च) मैसर्स ओरिएण्ट पेपर मिल्स निर्धारित मानकों के अनुसार बहिस्रावों का उत्सर्जन कर रहा है। तथापि, बहिस्रावों में रंग की समस्या मौजूद है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहडोल की अदालत में इस उद्योग के खिलाफ एक मामला दायर किया है। यह मामला इस समय न्यायालय में लंबित है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (क) के अंतर्गत उद्योग को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।

मैसर्स कैड़िया डिस्टीलरी के संबंध में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33, 43,44 और 47 के अंतर्गत उद्योग के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग की अदालत में एक मामला दायर किया है। बोर्ड ने उद्योग को यह भी निदेश दिया है कि वह द्वितीयक और तृतीयक शोधन सुविधाओं की स्थापना के लिए तत्काल कार्रवाई करे।

Poaching of Wildlife in Darjeeling

2449. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the poaching of valuable wild lives in the forests of Darjeeling hills which has threatened the existence of rare species in this part of Himalayan region;

(b) if so, how many raids were conducted by the Department and the police to apprehend the culprits during the last three years; year-wise;

(c) what were the details of recovered materials with approximate value in term of rupees; and

(d) how many poachers were arrested with details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) According to the information furnished by the State Forest Department poaching of wildlife is a problem in the forests of Darjeeling hills.

(b) to (d) The details are given below:

Year	Number of Raids Conducted	Materials Recovered	Number of Persons Arrested
1991-92	4	Barking deer (1) Tiger skins (1) Fresh water turtles(12)	4
1992-93	3	Parakeets (35)	5
1993-94	8	Leopard carcass (1) Rhino horns (2) Pythons skins (1)	12

Proper valuation of the recovered items cannot be made as their trade is prohibited.

Prior Ecological Survey for River Valley Project

2450. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no ecological survey of" the area is done before a river valley project is launched to find out as to what would be the effect to the drainage system or to flora and fauna of that area;

(b) in how many river valley projects such as ecological survey has been carried out; and

(c) whether Government would ensure that such a survey is conducted and its findings are carried out invariably so as to give a boost to rural development?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir,

(b) and (c) The project authorities are required to carry out various studies and surveys for preparation of environmental management plans for river valley projects. The surveys among others include ecological aspects which cover flora, fauna, wildlife and drainage pattern etc. The implemention of management plans by project proponents would ensure sustainable development of project impact area including rural sector.

पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन-क्षेत्र में वन कटाई

2451. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन-क्षेत्र में वनों की तेजी से कटाई हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कटाई के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं; और

(ग) उस क्षेत्र में वन-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं / उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट, 1993 के भू-उपग्रह प्रतिबिंबिकी की दृश्य व्याख्या पर आधारित 1989—91 की अवधि से संबंधित देश के वन आवरण के चौथे मूल्यांकन में बताया गया है कि उक्त अवधि के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वन आवरण में 635 वर्ग कि०मी० की कमी आई है।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वनों के क्षय का कारण मूलतः बड़ी मात्रा में झूम खेती है। अन्य घटकों में उग्रवाद से जुड़ी समस्याएं, वन भूमि पर अवैध कब्जे, वृक्षों की अवैध कटाई, अंतः राज्य सीमा विवाद, जिला परिषद क्षेत्रों में टिम्बर व्यापार शामिल हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे झूम खेती की बहाली के लिए स्कीमें बनायें और उन्हें लागू करें तथा सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करके और आरा मिलों के नियंत्रण के जरिए अवैध वृक्ष कटाई और अवैध कब्जों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने शुरू करें, निजी भूमियों में वृक्ष कटाई को विनियमित करने के लिए कानून बनाएं, जिला परिषदीय वनों का वैज्ञानिक प्रबंध करें, इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज को राज्यों से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाएं आदि।